# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

**मुन्तकिली प्रकरण संख्या 01/2025 (GCMS : 2025/1)**

**शुभम पुत्र श्री सुभाष जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़**

बनाम

1. **महेन्द्र सिंह उर्फ चरण सिंह** पुत्र श्री बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी सिहागावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **स्टेट** ऑफ राजस्थान जरिये **तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर**

**21.01.2025**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**प्रार्थी के अधिवक्ता** श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

**प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया** कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 2023/196 अनवानी शुभम सिंह बनाम चरण सिंह अन्तर्गत धारा 188, 88 आर टी एक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय पारित किया जा चुका है, इसलिए वे इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है इसलिए इस मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारिज कर दिया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 2023/196 अनवानी शुभम सिंह बनाम चरण सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 188, 88 आर टी एक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:05 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अब चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय पारित किया जा चुका है, इसलिए प्रार्थी के अधिवक्ता इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का लिखित में कथन प्रार्थी के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर भी अंकित किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

**अतः उक्त विवेचन के आधार** पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:05 IST
Reason: SelfAttested